न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, चित्तौड़गढ़ जिला चित्तौड़गढ़

पीठासीन अधिकारी– विनोद कुमार (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
230/2019 (RCMS 2019/00400)	18.06.2019	10.10.2019

अनवान

नरेन्द्रसिंह पिता ललितसिंह राजपूत आयु वयस्क निवासी ओरडी तहसील व जिला चित्तौड़गढ़ राज0।

प्रार्थी

बनाम

1. बाबुलाल पिता परथु गुर्जर निवासी ओरडी तहसील व जिला चित्तौड़गढ़ राज0।
2. किशन पिता नाथु गुर्जर निवासी ओरडी।
3. पर्वतसिंह पिता हिम्मतसिंह राजपूत निवासी ओरडी।
4. गोविन्दसिंह पिता हिम्मतसिंह राजपूत निवासी ओरडी।

अप्रार्थीगण

उपस्थिति :–	अधिवक्ता श्री गोविन्द वल्लभ त्रिपाठी	प्रार्थी
	अधिवक्ता श्री खुमराज कुमावत	अप्रार्थी संख्या 3, 4
	एक तरफा	अप्रार्थी संख्या 1 से 3

–:: प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राज0 भू–राजस्व अधिनियम::–

–:: निर्णय ::–

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी ने प्रार्थना–पत्र अप्रार्थी गण के विरूद्ध प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 128 राज0 भू–राजस्व अधिनियम, 1956 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा ओरडी पटवार हल्का जालमपुरा तहसील व जिला चित्तौडगढ की जमाबंदी संवत् 2072–2075 के खाता संख्या 161 में अभिलिखित आराजीयात आराजी संख्या 138 कृषि भूमि प्रार्थी की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की है और अप्रार्थीगण आराजियात जैर–बहस के पडौसी खातेदारान हैं। प्रार्थी एवं विपक्षीगण की आराजियात के बीच कोई स्थाई सीमा चिन्ह नहीं होने के कारण विवाद होता रहता है अतः प्रार्थीगण की खातेदारी की आराजियात की मौके पर अभिलेख अनुसार नपती की जाकर मौके पर स्थाई सीमा–चिन्ह स्थापित किया जावें। प्रार्थीगण वर्णित भूमि के खातेदार काश्तकार हैं।

इस पर प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस मय नकल प्रार्थना पत्र के तलब किया गया। इस पर दिनांक 08.08.2019 को अप्रार्थीगण संख्या 1 से लगायत 3 तक बावजूद सूचना के हाजिर नहीं आने से इनके विरूद्ध कार्यवाही एक तरफा के आदेश दिये गयें। दिनांक 19.08.2019 को अप्रार्थी संख्या 3, 4 की और से उनके अधिवक्ता हाजिर आये एवं जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया जो कि शामिल पत्रावली हैं। अप्रार्थी संख्या 3 के विरूद्ध पूर्व में कार्यवाही एक तरफा अमल में लाई जा चुकी थी। दिनांक 10.10.2019 को अधिवक्ता प्रतिवादी ने आदेशिका पर अंकित कर प्रार्थना पत्र बाबत् कोई एतराज नहीं होना जाहिर किया। इस पर हाजिर अधिवक्ता प्रार्थी ने बहस प्रार्थना हेतु निवेदन किया। इस पर हाजिर उभयपक्ष अधिवक्ता द्वारा की गई बहस प्रार्थना–पत्र को सुना गया। बहस प्रार्थना पत्र में विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

एवं प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने की ईश्तदुआ की गई। हमने पत्रावली का आद्यौपान्त अवलोकन किया। सुनीगई बहस प्रार्थना पत्र का चिंतन मनन किया एवं पत्रावली को वास्ते आदेश नियत किया गया।

हमने पत्रावली का आद्यौपान्त अवलोकन किया। उभयपक्ष द्वारा की गई बहस प्रार्थना पत्र का मनन किया। प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत राजस्व अभिलेख नकल जमाबन्दी का अवलोकन किया गया। प्रकरण के तथ्यों व बहस पर मनन किया। प्रार्थी आराजियात जैरबहस के खातेदार काश्तकार हो कर इन्हें आराजीयात जैर–बहस की नपती करा सीमांकन (पत्थरगढी) कराने का अधिकार निहित हैं। उपर्युक्त विवेचन के क्रम मे प्रार्थीगण प्रार्थना पत्र में अंकित भूमि के खातेदार सह काश्तकार होने से सीमाझान कराने के अधिकारी होने से प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 128 राज0 भू–राजस्व अधिनियम, 1956 स्वीकार किया जाता हैं तथा तहसीलदार चित्तौड़गढ़ को सीमांकन (पत्थरगढी) कराने का आदेश दिया जाता हैं। तहसीलदार चित्तौड़गढ़ को आदेश दिया जाता हैं कि मौजा ओरडी पटवार हल्का जालमपुरा तहसील व जिला चित्तौडगढ की जमाबंदी संवत् 2072–2075 के खाता संख्या 161 में अभिलिखित आराजीयात आराजी संख्या 138 कृषि भूमि की फरीकेन मुकदमा को सूचित किया जाकर उनकी उपस्थिति में कब्जे में बिना किसी भी प्रकार से हस्तक्षेप किये एवं मौके पर फसल खडी न हो तो बन्दोबस्ती नक्शे अनुसार नपती की जाकर सीमा चिन्ह स्थापित कर सीमांकन (पत्थरगढी) किया जावे एवं पर्चा मौका एवं मौका नक्शा 15 दिवस में इस न्यायालय में प्रस्तुत करे। सीमांकन (पत्थरगढी) हेतु तहसीलदार चित्तौड़गढ़ को 800/– रूपये शुल्क पर मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाता हैं, कमिश्नरी शुल्क का रिकार्ड विधिवत संधारित किया जाकर पालना रिपोर्ट मय पर्चा मौका आगामी 15 दिवस में आवश्यक रूप से पेश करे तथा कमिश्नरी फीस प्रार्थीगण से मौके पर प्राप्त करें। तहसीलदार चित्तौड़गढ़ को तहरीर जारी करे।

पत्रावली की निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार में भिजवाई जावें। निर्णय आज दिनांक को <u>**09.10.2019**</u> खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(विनोद कुमार)
सहायक कलेक्टर,
(उपखण्ड अधिकारी)
चित्तौड़गढ़

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, चित्तौड़गढ़ जिला चित्तौड़गढ़

क्रमांक/सरिश्ता 5–08(230)2019/10.10.2019/ दिनांक 10 अक्टूबर, 2019

निमित,

तहसीलदार,
चित्तौड़गढ़

विषय :– बाबत् पत्थरगढ़ी।

नरेन्द्रसिंह पिता ललितसिंह राजपूत आयु वयस्क निवासी ओरडी तहसील व जिला चित्तौड़गढ़ राज0।

प्रार्थी

बनाम

1. बाबुलाल पिता परथु गुर्जर निवासी ओरडी तहसील व जिला चित्तौड़गढ़ राज0।
2. किशन पिता नाथु गुर्जर निवासी ओरडी।
3. पर्वतसिंह पिता हिम्मतसिंह राजपूत निवासी ओरडी।
4. गोविन्दसिंह पिता हिम्मतसिंह राजपूत निवासी ओरडी।

अप्रार्थीगण

प्रकरण संख्या :– 230/2019
(RCMS 2019/00400)

–:: प्रार्थना पत्र बाबत् कराये जाने पत्थर गढ़ी ::–

उपरोक्त अनवान से संबंधित प्रकरण में आपको 800/– रूपये शुल्क पर मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाकर आदेशित किया जाता हैं कि मौजा ओरडी पटवार हल्का जालमपुरा तहसील व जिला चित्तौडगढ की जमाबंदी संवत् 2072–2075 के खाता संख्या 161 में अभिलिखित आराजीयात आराजी संख्या 138 कृषि भूमि की फरीकेन मुकदमा को सूचित किया जाकर उनकी उपस्थिति में कब्जे में बिना किसी भी प्रकार से हस्तक्षेप किये एवं मौके पर फसल खडी न हो तो बन्दोबस्ती नक्शे अनुसार नपती की जाकर सीमा चिन्ह स्थापित किये जाये एवं कमिश्नरी शुल्क का रिकार्ड विधिवत संधारित किया जाकर पालना रिपोर्ट मय पर्चा मौका आगामी 15 दिवस में आवश्यक रूप से पेश करे तथा कमिश्नरी फीस प्रार्थीगण से मौके पर प्राप्त करें।

(विनोद कुमार)
सहायक कलेक्टर,
(उपखण्ड अधिकारी)
चित्तौड़गढ़

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official